।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

2018/281

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/164 तारीख रज्जू 31.08.2018

01– बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री चिरंजीद लाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र करीब 38 साल निवासी ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–प्रार्थी

बनाम

01– राजाराम चौधरी पुत्र श्री मोती लाल चौधरी जाति जाट निवासी 65, लखण्डावाला कुआं, पुराना बिजली घर के पीछे, अलवर।

–अप्रार्थी

02– तहसीलदार, मालाखेडा जिला अलवर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील मालाखेडा जिला अलवर। **–तकमीली प्रतिवादी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1–2 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

–: निर्णय :– **दिनांक: 31.07.2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1–2 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.66 है० वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी द्वारा जर्ये बयनामा दिनांक 02.09.2013 पंजीबद्ध दिनांक 04.09.2013 कार्यालय उप पंजीयक, मालाखेडा से 1/2 हिस्सा खरीद किया है। जिसका इंतकाल संख्या 1187 दिनांक 1.11.2013 ग्राम दादर स्वीकृत हो गया है। खरीद की दिनांक से ही अपने हिस्से पर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर लिया है जिसका इंतकाल संख्या 1242 दिनांक 08.09.2014 को स्वीकृत हो चुका है। उक्त आराजी का विधिक बटवारा नही हुआ है। शामलात में काश्त करना संभव नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार उक्त आराजी को तकसीम कराने बाबत निवेदन किया। लेकिन अप्रार्थी टालबाल करता रहा। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 कार्य कृषि में मजाहमत करता है एवं प्रार्थी के हिस्से को अप्रार्थी अपने 1/2 हिस्से में शामिल कर बेचान करने की धमकी देता है एवं बेदखल करने की धमकी देता है। इस कारण तकासमा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी तकसीम की जाकर अलग खाता कायम किया जावे एवं लगान कायम किया जावे। अप्रार्थी संख्या–1 दिनांक 25.08.2018 को उक्त आराजी को रहन बय मुन्तकिल करने के उद्‌देश्य से वादग्रस्त आराजी पर खरीददार लाया ओर धमकी दी। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अलावा ओर कोई जरिया प्रार्थी के पास नही है। ताफैसला वाद जब तक विधि सम्मत तरीके से तकासमा ना हो तब तक अप्रार्थी संख्या–1 को पाबन्द किया जावे की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.66 है० से जबरन बेदखल ना करे व किसी विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा न करने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 31.08.2018 को अप्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.66 है० वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा में प्रार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत ना करने, रहन बय ना करने तथा जबरन बेदखल ना करने बाबत पाबन्द किया गया।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण को दोहराते हुए न्यायालय को निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 31.08.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 31.08.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद (Absolute) कर कन्फर्म (Confirm) किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.66 है० वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा में प्रार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत ना करने, रहन बय ना करने तथा जबरन बेदखल नही करने हेतु पाबन्द किया जताा है तथा दिनांक 31.08.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद (Absolute) कर कन्फर्म (Confirm) की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner